रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 4, 2016/फाल्गुन 14, 1937
No. 566] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 4, 2016/ PHALGUNA 14, 1937

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 मार्च, 2016

का.आ. 655(अ).-- निम्नलिखित प्रारूप अधिसूचना, जिसे केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) तथा उपधारा (3) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जारी करने का प्रस्ताव करती है, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) की अपेक्षानुसार, जनसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है; जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर, उस तारीख से, जिसको इस अधिसूचना वाले भारत के राजपत्र की प्रतियां जनसाधारण को उपलब्ध करा दी जाती हैं, साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसा कोई व्यक्ति, जो प्रारूप अधिसूचना में अंतर्विष्ट प्रस्तावों के संबंध में कोई आक्षेप या सुझाव देने में हितबद्ध है, इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किए जाने के लिए, आक्षेप या सुझाव सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली-110003 या ई-मेल पते: esz-mef@nic.in पर लिखित रूप में भेज सकेगा।

प्रारूप अधिसूचना

सतपुडा बाघ आरक्षिती, मध्य प्रदेश में अवस्थित है और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पंचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य मिलकर कोर महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान का निर्माण करते है, जो की 1339.26 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है;

और सतपुड़ा बाघ आरक्षिती 2133.3 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जिसमें की 1339.26 वर्ग किलोमीटर बाघ आरक्षिती का कोर महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास है और 794. 04 वर्ग किलोमीटर बफर क्षेत्र है;

और, सतपुडा बाघ अभयारण्य आरक्षिती विश्व में सबसे बड़े बाघ पर्यावास का भाग है जिसके अंतर्गत छिंदवाड़ा, होशंगाबाद, बेतुल, हरदा, खांडवा, और मेलाघाट हैं;

और बाघ आरक्षित के पेड़ पौधे केंद्रीय भारतीय उच्चभूमि के लिए विशिष्ट है और यह भारतीय बृहत, सूरजभगत, संभार, गौर, विविध जीवजंतु का वास स्थान है जिसमें बाघ, मालाबार पाइड धनेश, परलोक मक्खीमार, गिलहरीमालाबार चिलबिल और प्रजातियों से 300 सम्मिलित अधिक है ;

और, बाघ आरक्षिती में स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप की कम से कम 14 संकटामय प्रजातियों और विशेष रुप से बड़ी संख्या के दुर्लभ और स्थानिक पौधे ब्रायोफाइट और पटेरीडोफाइट जैसे की पसीलोटम, साइथा ओसमुनडा, लाइकोपोडियम आदि के साथ उच्च संरक्षण मूल्य की समृद्ध जैव विविधता है;

और, बाघ आरक्षिती फाइटोजियोग्राफिकली अद्वितीय है जिसमें की 26 पौधे प्रजातियाँ हिमालय में पायी जाती हैं और 42 पौधे प्रजातियाँ नीलगिरी पहाड़ी में पायी जाती है;

और, पुरातात्विक और मानव विकास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है क्योंकि वहाँ पर 50 चट्टाने आश्रय से अधिक के साथ चित्रकला जो 1500 से 10000 साल पुरानी बहुत महत्वपूर्ण है;

और, सतपुडा बाघ आरक्षिती के महत्वपूर्ण बाघ निवास स्थान के चारों ओर, जि़सके अंतर्गत सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य है, जिससे इस अधिसूचना के पैरा 1 में विनिर्दिष्ट किया गया हैं, पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, इसलिए, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) और उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सतपुडा बाघ आरक्षिती के कोर महत्वपूर्ण सतपुडा बाघ पर्यावास जि़सके अंतर्गत सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य है, मध्य प्रदेश की सीमा से अधिसूचित शहरी और आबादी इलाकों की तरफ 100 मीटर के विस्तार तक और बाकी तरफ दो किलोमीटर के विस्तार तक को सतपुडा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात्

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं--**(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार सतपुडा बाघ आरक्षिती के कोर महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास, जिसके अंतर्गत सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी वन्यजीव अभयारण्य और बोरी वन्यजीव अभयारण्य है, की सीमा की तरफ से अधिसूचित शहरी और आबादी क्षेत्र में 100 मीटर तक है और सतपुडा बाघ आरक्षिती के कोर महत्वपूर्ण बाघ पर्यावास की अन्य तरफ से दो किलोमीटर तक है।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन 1051.70 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जिसके अंतर्गत सतपुडा बाघ आरक्षिती का 794.04 वर्ग किलोमीटर का बफर क्षेत्र है।

3. पारिस्थितिक संवेदी जोन में मध्य प्रदेश के तीन जिलों अर्थात होशंगाबाद, बेतुल और छिंदवाडा में 68 ग्राम है।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन के चारो ओर महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ समन्वयक **उपाबंध** I के रूप में संलग्न है।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर आने वाले ग्रामों की सूची महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ समन्वयक **उपाबंध** II के रूप में संलग्न है।

2. पारिस्थितिकी संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना – (1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी।

(2) आचंलिक महायोजना राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होगी।

(3) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी।

(4) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिकीय विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण ;

(ii) वन ;

(iii) नगर विकास ;

(iv) पर्यटन ;

(v) नगरपालिक ;

(vi) राजस्व ;

(vii) कृषि ;

(viii) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ;

(ix) सिंचाई; और

(x) लोक निर्माण विभाग ।

(5) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(6) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(7) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोधान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(9) बाघ आरक्षिती का बफर जोन पारिस्थितिक संवेदी जोन का एक भाग है, आंचलिक महायोजना तैयार करते समय बफर जोन के संबंध में बाघ संरक्षण योजना पर भी विचार किया जाएगा ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात् :--

(1) **भू-उपयोग -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा :

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन, मानीटरी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए और पैरा 4 की सारणी के स्तंभ (2) के अधीन मद सं0 10, 10, 16, 22, 30 और 32 के सामने सूचीबद्ध क्रियाकलापों को पूरा करने के लिए अनुज्ञात होंगे, अर्थात् -

(i) पारिस्थितिकी अनुकूल पर्यटन क्रियाकलापों के लिए पर्यटकों के अस्थायी आवासन के लिए पारिस्थितिकी अनुकूल आरामगाह जैसे टेंट, लकड़ी के मकान आदि;

(ii) विद्यमान सड़कों को चौड़ा और सुदृढ़ बनाना;

(iii) प्रदूषण कारित न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) वर्षा जल संचयन; और

(v) कुटीर उद्योग, जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग, सुविधा भंडार और स्थानीय सुख-सुविधाएं हैं :

परंतु यह और कि जनजातीय भूमि का उपयोग राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन और संविधान के अनुच्छेद 244 या तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए अनुज्ञात नहीं होगा :

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, मानीटरी समिति के विचार प्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

परंतु यह और भी कि हरित क्षेत्र जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोतों --** आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी और राज्य सरकार द्वारा ऐसे क्षेत्रों पर या उनके निकट विकास क्रियाकलाप प्रतिषिद्ध करने के लिए ऐसी रीति से मार्गनिर्देश तैयार किए जाएंगे ।

(3) **पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे जो कि आंचलिक महायोजना के भाग रूप में होगी ।

(ख) पर्यटन महायोजना मध्य प्रदेश सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा, मध्य प्रदेश सरकार के वन और पर्यावरण विभाग, के परामर्श से तैयार की जाएगी ।

(ग) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(ii) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटक क्रियाकलापों के संबंध में अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय सतपुडा बाघ अभयारण्य की सीमा से एक किलोमीटर भीतर होटल और रिसोर्टों का नया संनिर्माण अनुज्ञात नहीं होगा ;

परंतु विद्यमान स्थापनों का विस्तार आंचलिक महायोजना के अनुसार अनुज्ञात किया जा सकेगा।

परंतु संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर की दूरी से परे पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक नए होटल और रिसोर्ट के स्थापना पर्यटन महायोजना के अनुसार ही अनुज्ञात किया जाएगा ।

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा मानीटरी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और उन्हें परिरक्षित किया जाएगा तथा उनकी सुरक्षा और संरक्षा के लिए इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से छह मास के भीतर, उपयुक्त योजना बनाई जाएगी और ऐसी योजना आंचलिक महायोजना का भाग होगी ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और इस अधिसूचना के अंतिम प्रकाशन की तारीख से छह माह के भीतर उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के नियंत्रण के लिए राज्य सरकार का पर्यावरण विभाग, वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसरण में मार्गदर्शक सिद्धांत और विनियम तैयार करेगा ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण, जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 (1974 का 6) और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा ।

(9) **ठोस अपशिष्ट** – ठोस अपशिष्टों का निपटान निम्नलिखित रूप में होगा -

(i) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथा संशोधित अधिसूचना सं. का.आ. 908(अ), तारीख 25 सितंबर, 2000 नगरपालिक ठोस अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 2000 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

(ii) स्थानीय प्राधिकरण जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय संघटकों में ठोस अपशिष्टों के संपृथक्कन के लिए योजनाएं तैयार करेंगे ;

(iii) जैव निम्नीकरणीय सामग्री को अधिमानतः खाद बनाकर या कृमि खेती के माध्यम से पुनःचक्रित किया जाएगा ;

(iv) अकार्बनिक सामग्री का निपटान पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किए गए स्थल पर किसी पर्यावरणीय स्वीकृत रीति में होगा और पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों को जलाना या भष्मीकरण अनुज्ञात नहीं होगा।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की समय-समय पर यथासंशोधित अधिसूचना सं.का.आ.630 (अ) तारीख 20 जुलाई, 1998 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट (प्रबंध और हथालन) नियम, 1998 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(11) **यानीय परिवहन** - परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी के द्वारा अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(12) औद्योगिक इकाईयां - (क) प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में विधि के अनुसार स्थापित विद्यमान काष्ठ आधारित उद्योगों के सिवाए नए काष्ठ आधारित उद्योगों की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(ख) जल, वायु, मृदा, ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले किसी नए उद्योग की प्रस्तावित पारिस्थितिक संवेदी जोन में स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तद्धीन बनाए गए नियमों द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप :	
(1)	वाणिज्यिक खनन, पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर उत्खनन और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए भूमि को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का संनिर्माण के संदर्भ में प्रतिषिद्ध होंगी अन्यथा नहीं ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 21 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
(2)	आरा मीलों की स्थापना ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा मीलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।

(3)	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नए और विद्यमान प्रदूषण कारित करने वाले का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा।
(4)	जलावन लकड़ी का वाणिज्यिक उपयोग।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(5)	नई मुख्य जल विद्युत परियोजनाओं और सिंचाई परियोजनाओं की स्थापना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(6)	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(7)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में अनुपचारित बहिर्स्राव और ठोस अपशिष्टों का निस्सारण।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(8)	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारों आदि द्वारा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय)।
(9)	नए काष्ठ आधारित उद्योग।	पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमाओं के भीतर नए काष्ठ आधारित उद्योग की स्थापना को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा : परंतु विद्यमान नए काष्ठ आधारित उद्योग विधि के अनुसार चालू रह सकते हैं ; परंतु यह और कि विद्यमान आरा मीलों की अनुज्ञप्तियों का नवीकरण उनकी अवसान अवधि पर नहीं किया जाएगा।
	विनियमित क्रियाकलाप	
(10)	होटल और रिसोर्ट की वाणिज्यिक स्थापना।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी व्यवसाय के लिए आवास के संबंध में पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर ही नए वाणिज्यिक होटलों और रिसोर्टों को अनुज्ञात किया जाएगा अन्यथा नहीं: तथापि, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान क्रियाकलापों का विस्तार पर्यटन महायोजना और राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण के मार्गदर्शक सिद्धांतों की अनुरूपता में होगा।
(11)	संनिर्माण क्रियाकलाप।	(क) संरक्षित क्षेत्र की एक किलोमीटर की सीमा के भीतर किसी भी प्रकार के नए वाणिज्यिक संनिर्माण को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 3 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति दी जाएगी। (ख) ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे। (ग) एक किलोमीटर से आगे और पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा तक वास्तविक स्थानीय आवश्यकताओं के लिए संनिर्माण की अनुज्ञा दी जाएगी और अन्य वाणिज्यिक संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुरूप होंगे। (घ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में सन्निर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना की अनुसार होगा। (ङ) पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण क्रियाकलाप आंचलिक महायोजना के अनुसार होंगे।

(12)	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी । (ग) आरक्षित वनों और संरक्षित वनों की दशा में कार्यकरण योजना निर्देशों का अनुसरण किया जाएगा ।
(13)	वाणिज्यिक जल संसाधन जिसके अंतर्गत भू-जल संचयन भी है ।	(क) भूमि के अधिभोगी के वास्तविक कृषि और घरेलू खपत के लिए जल का निष्कर्षण सतही और भूमिगत जल अनुज्ञात होगा । (ख) औद्योगिक, वाणिज्यिक उपयोग के लिए सतही और भूमिगत जल का निष्कर्षण के लिए संबंधित विनियामक प्राधिकरण पूर्व लिखित अनुज्ञा अपेक्षित होगी जिसके अंतर्गत कितने परिणाम में वह निष्कर्षण करेगा, भी है । (ग) सतही या भूजल का विक्रय अनुज्ञात नहीं होगा । (घ) किसी स्रोत जल, जिसके अंतर्गत कृषि भी है, के संदूषण या प्रदूषण को रोकने के लिए सभी उपाय किए जाएंगे ।
(14)	पारेषण लाइनों और दूरसंचार टावरो का परिनिर्माण ।	भूमिगत केबलों को प्रोत्साहन देना ।
(15)	होटलों और लॉज के विद्यमान परिसरों में बाड़ लगाना ।	(i) लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । (ii) वन्य जीव के निर्बाध संचलन को अनुज्ञात करने वाली रीति में किया जाएगा। (iii) किन्ही स्थापनों की किन्ही विद्यमान बाडों ,जो उपरोक्त शर्त का अनुपालन नहीं करती है, को अंतिम अधिसूचना की तारीख से छह मास के भीतर अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए हटा दिया जाएगा या उपांतरित किया जाएगा।
(16)	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना।	उचित पर्यावरण समाघात निर्धारण और न्यूनीकरण उपाय यथा लागू अनुसार होंगे ।
(17)	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन ।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे ।
(18)	विदेशी प्रजातियों को लाना ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(19)	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(20)	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण ।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करना और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन करना होगा ।
(21)	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(22)	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन से गैर प्रदूषण, गैर परिसंकटमय, लघु और सेवा उद्योग, कृषि उद्यान, कृषि या कृषि आधारित उद्योग, जो देशीय माल से औद्योगिक उत्पादों का उत्पादन करते हैं और जो पर्यावरण पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं डालते हैं ।
(23)	वन उत्पादों और गैर कास्ठ वन उत्पादों (एनटीएफपी) का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(24)	वायु और यानिक प्रदूषण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(25)	कृषि प्रणालियों में आमूल परिवर्तन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(26)	ट्रेन्चिंग ग्राउंड ।	किसी नए ट्रेन्चिंग ग्राउंड की स्थापना प्रतिषिद्ध है। पुराने ट्रेन्चिंग ग्राउड को लागू विधियों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।
(27)	डेयरी कार्यकलाप और पशुपालन ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

(28)	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
	संवर्धित क्रियाकलाप	
(29)	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
(30)	वर्षा जल संचयन ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(31)	जैविक खेती ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(32)	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना ।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(33)	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढावा दिया जाए ।
(34)	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग ।	बायो गैस, सौर लाइट, आदि का संवर्धन किया जाएगा।

5. पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति- (1) केंद्रीय सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी के लिए एक मानीटरी समिति का गठन करेगी जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

1.	प्रभागीय आयुक्त, होशंगाबाद	- अध्यक्ष ;
2.	प्रभागीय आयुक्त,जबलपुर	-सदस्य ;
3.	जिला कलेक्टर, होशंगाबाद	- सदस्य;
4.	जिला कलेक्टर, बेतुल	- सदस्य;
5.	जिला कलेक्टर, छिंदवाड़ा	- सदस्य;
6.	अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, शहडोल	– सदस्य ;
7.	अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, होशंगाबाद	– सदस्य
8.	अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, बेतुल	– सदस्य
9.	अधीक्षक अभियंता, लोक स्वास्थ्य विभाग, चिन्नदवारा	– सदस्य
10.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, होशंगाबाद	- सदस्य ;
11.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, बेतुल	- सदस्य ;
12.	मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा	- सदस्य ;
13.	नगर और ग्राम योजना विभाग का प्रतिनिधि	- सदस्य ;
14.	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	– सदस्य;
15.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य ;
16.	पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में एक वर्ष की अवधि के लिए मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि	-सदस्य ;
17.	क्षेत्र निदेशक, सतपुड़ा बाघ आरक्षिती	– सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश का निबंधन.- (1) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची में के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(3) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन

मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ) तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(4) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध उपायुक्त, ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(5) मानीटरी समिति मुद्दा दर मुद्दा के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(6) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक की राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध III** पर उपाबद्ध रूप विधान के अनुसार उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(7) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

7. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभाव देने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगे ।

8. इस अधिसूचना के उपबंध, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/177/2015-ईएसजेड-आरई]

डा. टी. चांदनी, वैज्ञानिक 'जी

उपाबंध I

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन का मानचित्र

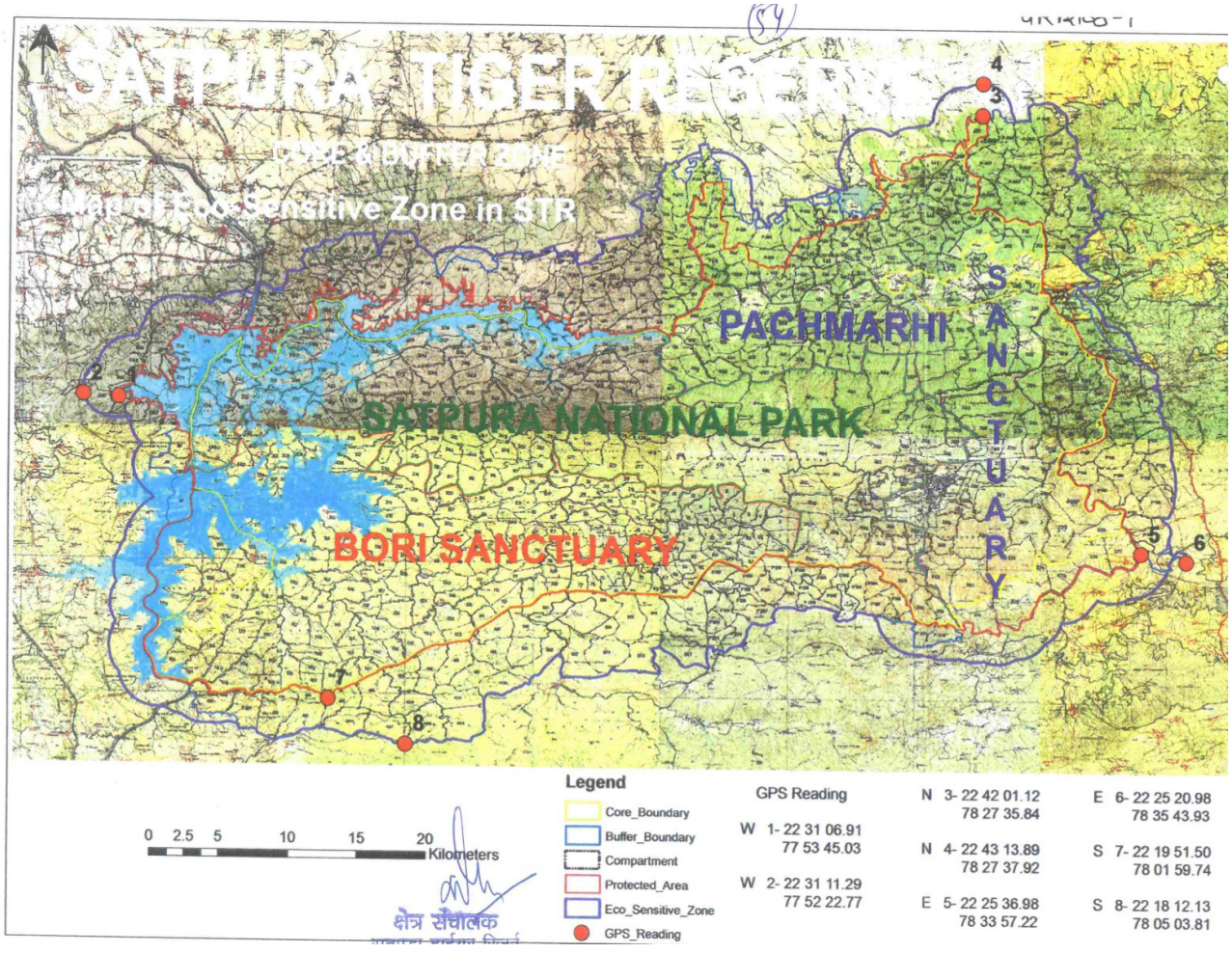

उपाबंध II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूचीं के साथ निर्देशांक

सतपुड़ा पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों के साथ भौगोलिक निर्देशांक

क्रं .स.	विभाग के नाम	ग्राम के नाम	जिला	देशांतर	अक्षांश
1	मध्यवर्ती क्षेत्र	झीरिया	होशांगाबाद	7823'36.86"पू	2238'43.06"उ
2	मध्यवर्ती क्षेत्र	देवी	होशांगाबाद	7824'15.43"पू	2239'48.19"उ
3	मध्यवर्ती क्षेत्र	अमादेह	होशांगाबाद	7826'10.88"पू	22 40'38.36" उ
4	मध्यवर्ती क्षेत्र	घोघरी	होशांगाबाद	78 7'13.66"पू	22 35'8.41" उ
5	मध्यवर्ती क्षेत्र	सरंगपुर	होशांगाबाद	78 8'43.99"पू	22 34'39.91" उ
6	मध्यवर्ती क्षेत्र	उरदॉव	होशांगाबाद	78 5'46.46"पू	2234'46.40" उ
7	मध्यवर्ती क्षेत्र	खरपावाड	होशांगाबाद	78 4'21.44"पू	22 34'31.02" उ
8	मध्यवर्ती क्षेत्र	छतुआ	होशांगाबाद	7754'21.35"पू	22 28'09.74" उ
9	मध्यवर्ती क्षेत्र	अनहोअनि	होशांगाबाद	78 21'6.53"पू	22 38'5.77" उ
10	मध्यवर्ती क्षेत्र	चौका	होशांगाबाद	7822'18.02"पू	22 38'40.05" उ
11	मध्यवर्ती क्षेत्र	मदहो	होशांगाबाद	7824'16.70"पू	22 40'36.68" उ
12	मध्यवर्ती क्षेत्र	रेवडी	होशांगाबाद	78 25'18.74" पू	22 40'55.95" उ
13	मध्यवर्ती क्षेत्र	घोघरीमाथा	होशांगाबाद	78 26'32.99" पू	22 42'15.31" उ
14	मध्यवर्ती क्षेत्र	बरगोदी	होशांगाबाद	78 27'59.87" पू	2239'56.94" उ
15	मध्यवर्ती क्षेत्र	सेहरा	होशांगाबाद	78 10' 4.9" पू	2235'6.06" उ
16	मध्यवर्ती क्षेत्र	टेकापुर	होशांगाबाद	78 1'59.12" पू	22 34'58.59" उ
17	मध्यवर्ती क्षेत्र	पाथी	होशांगाबाद	78 1'59.12" पू	2236'10.25" उ
18	मध्यवर्ती क्षेत्र	दावननगर	होशांगाबाद	7758'34.99" पू	2234'00.89" उ
19	मध्यवर्ती क्षेत्र	रानीपुर	होशांगाबाद	77 29'37.31" पू	2234'33.31" उ
20	मध्यवर्ती क्षेत्र	मरूयुपुटा	होशांगाबाद	7753'36.53" पू	2222'46.25" उ
21	मध्यवर्ती क्षेत्र	छीचा	होशांगाबाद	7754'50.28" पू	2232'40.41" उ
22	मध्यवर्ती क्षेत्र	हथनीखाप	होशांगाबाद	7819'18.02" पू	22 38'36.79" उ
23	मध्यवर्ती क्षेत्र	मुहारीखुर्द	होशांगाबाद	7820'18.91पू	2238'42.45" उ
24	मध्यवर्ती क्षेत्र	मुहारीकाला	होशांगाबाद	7818'8.14" पू	2239'48.36" उ
25	मध्यवर्ती क्षेत्र	सनगहई	होशांगाबाद	7817'5.42" पू	2240'11.79" उ
26	मध्यवर्ती क्षेत्र	बोरी	होशांगाबाद	7824'7.65" पू	2241'18.70" उ
27	मध्यवर्ती क्षेत्र	दोकरीखेडा	होशांगाबाद	7822'34.78" पू	2239'28.29" उ
28	मध्यवर्ती क्षेत्र	कोटमि	होशांगाबाद	77 54'16.44" पू	2224'4.46" उ
29	मध्यवर्ती क्षेत्र	लेडिमा	होशांगाबाद	7753'39.13" पू	2222'14.64" उ
30	मध्यवर्ती क्षेत्र	चीचाधाना	होशांगाबाद	7753'59.08" पू	2222'17.42" उ
31	मध्यवर्ती क्षेत्र	जोनकार	होशांगाबाद	7754'24.20" पू	2225'46.51" उ
32	मध्यवर्ती क्षेत्र	धोई दोधी	होशांगाबाद	7753'28.44" पू	2231'19.24" उ

33	मध्यवर्ती क्षेत्र	मनगारिया	होशांगाबाद	786'10.05" पू	2235'40.34" उ
34	मध्यवर्ती क्षेत्र	पारसपानी	होशांगाबाद	78 18'41.46" पू	2235'40.35" उ
35	मध्यवर्ती क्षेत्र	जामुनडोगा	होशांगाबाद	78 24'48.87" पू	2234'43.16" उ
36	मध्यवर्ती क्षेत्र	बरदा	होशांगाबाद	7854'53.41" पू	2220'7.92" उ
37	मध्यवर्ती क्षेत्र	नयागॉव	होशांगाबाद	7826'19.46" पू	2242'56.86" उ
38	मध्यवर्ती क्षेत्र	नानदिया	होशांगाबाद	7826'35.60" पू	2223'26.88" उ
39	मध्यवर्ती क्षेत्र	गुटखेडा	होशांगाबाद	7827'49.56" पू	2223'36.96" उ
40	मध्यवर्ती क्षेत्र	सुडोंगर	होशांगाबाद	78 29'01.50" पू	2223'40.94" उ
41	मध्यवर्ती क्षेत्र	साकरी	होशांगाबाद	7830'04.45" पू	2240'22.71" उ
42	मध्यवर्ती क्षेत्र	चुरनी	होशांगाबाद	7832'32.46" पू	2225'27.01" उ
43	मध्यवर्ती क्षेत्र	मल्लुपुरा	होशांगाबाद	7756'04.94" पू	2225'29.32" उ
44	मध्यवर्ती क्षेत्र	सूपलाइ	होशांगाबाद	7758'54.23" पू	2225'04.84" उ
45	मध्यवर्ती क्षेत्र	खामदा	होशांगाबाद	7755'58.56" पू	2224'30.49" उ
46	मध्यवर्ती क्षेत्र	जाहालइ	होशांगाबाद	7756'54.36" पू	2223'26.61" उ
47	मध्यवर्ती क्षेत्र	वनधान	छिंदवाड़ा	7833'27.97" पू	2226'37.49" उ
48	मध्यवर्ती क्षेत्र	अदिटारिया	छिंदवाड़ा	7831'6.69" पू	2234'37.62" उ
49	मध्यवर्ती क्षेत्र	कुरारी	छिंदवाड़ा	7820'47.18" पू	2224'46.86" उ
50	मध्यवर्ती क्षेत्र	बिजओरी	छिंदवाड़ा	7826'54.96" पू	2222'25.03' उ
51	मध्यवर्ती क्षेत्र	नवटोला	छिंदवाड़ा	7830'22.99"	2235'51.91"
52	मध्यवर्ती क्षेत्र	खनचरी	छिंदवाड़ा	7830'10.74"	2235'41.01"
53	मध्यवर्ती क्षेत्र	खारीई	छिंदवाड़ा	7830'28.26"	2236'24.6"
54	मध्यवर्ती क्षेत्र	बरूथ	छिंदवाड़ा	7817'25.64"	2224'12.47"
55	मध्यवर्ती क्षेत्र	कुरसीधाना	छिंदवाड़ा	7832'54.30	2223'1.13"
56	मध्यवर्ती क्षेत्र	सानगाखेड़ा	छिंदवाड़ा	7827'26.40"	2221'50.14"
57	मध्यवर्ती क्षेत्र	कुनधाईधाना	छिंदवाड़ा	7828'24.17"	2221'43.14"
58	मध्यवर्ती क्षेत्र	निशान	छिंदवाड़ा	7831'53.93"	2224'14.43"
59	मध्यवर्ती क्षेत्र	बेलखेडी	छिंदवाड़ा	7833'44.75"	2224'40.64"
60	मध्यवर्ती क्षेत्र	देबुधाना	छिंदवाड़ा	7839'24.17"	2226'06.73"
61	मध्यवर्ती क्षेत्र	लुकखाधाना	छिंदवाड़ा	7834'34.19	2224'38.90"
62	मध्यवर्ती क्षेत्र	अनजनधाना	छिंदवाड़ा	7834'40.12"	2225'19.80"
63	मध्यवर्ती क्षेत्र	उमरदोले	छिंदवाड़ा	7838'16.47"	2225'52.20"
64	मध्यवर्ती क्षेत्र	दुनदालुम	छिंदवाड़ा	7816'50.81"	2223'04.47"
65	मध्यवर्ती क्षेत्र	धसाई	बेतुल	7756'53.89"	2219'30.08"
66	मध्यवर्ती क्षेत्र	भाटोली	बेतुल	7811'32.57"	2223'10.52"
67	मध्यवर्ती क्षेत्र	केलीपुजी	बेतुल	7759'36.03"	2218'25.80"
68	मध्यवर्ती क्षेत्र	टेटाखेरी	बेतुल	7810'04.14"	2223'05.02"

उपाबंध-III

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd March, 2016

S.O. 655(E).—The following draft of the notification, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sub-section (1), read with clause (v) and clause (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) is hereby published, as required under sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, for the information of the public likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing this notification are made available to the public;

Any person interested in making any objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification may forward the same in writing, for consideration of the Central Government within the period so specified to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jorbagh Road, Aliganj, New Delhi-110003, or send it to the e-mail address of the Ministry at esz-mef@nic.in

Draft Notification

WHEREAS, the Satpura Tiger Reserve is situated in Madhya Pradesh and the Satpura National Park, Pachmarhi Wildlife Sanctuary and Bori Wildlife Sanctuary together constitute the Core Critical Tiger Habitat which is spread over an area of 1339.26 square kilometres;

AND WHEREAS, the Satpura Tiger Reserve is spread over an of 2133.3 square kilometres of which 1339.26 square kilometres is Core Critical Tiger Habitat of the Tiger Reserve and 794.04 square kilometre is the buffer area;

AND WHEREAS, the Satpura Tiger Reserve is part of the largest Tiger Habitat in the world which includes Chhindwara, Hoshangabad, Betul, Harda, Khandwa and Melghat;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve has vegetation which is typical to the Central Indian Highlands and it harbours diverse fauna which includes Tiger, Gaur, Sambhar, flying squirrel, Indian giant squirrel, paradise fly catcher, Malabar pied Horn-bill, Malabar Whistling thrush and more than 300 species;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve has rich biodiversity with high conservation value with at least 14 endangered species of mammals, birds and reptiles and large number of rare and endemic plants especially bryophytes and pteridophytes like Psilotum, Cythea, Osmunda, Lycopodium, Lygodium etc.;

AND WHEREAS, the Tiger Reserve is unique phytogeographically with 26 plant species from Himalayas and 42 plant species from the Nilgiri Hills;

AND WHEREAS, the area is very important from the archaeological and human evolution point of view as there are more than 50 rock shelters with paintings which are 1500 to 10000 years old;

AND WHEREAS, it is necessary to conserve and protect the area the extent and boundaries of which is specified in paragraph 1 of this notification around the Core Critical Tiger Habitat of the Satpura Tiger Reserve, which includes Satpura National Park, Pachmarhi Wildlife Sanctuary and Bori Wildlife Sanctuary, as Eco-sensitive Zone from ecological and environmental point of view and to prohibit industries or class of industries and their operations and processes in the said Eco-sensitive Zone;

NOW THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section(1) and clauses (v) and (xiv) of sub-section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies the area up to an extent of 100 metre on the notified urban and 'Abadi' area side from the boundary of Core Critical Tiger Habitat of the Satpura Tiger Reserve, which includes Satpura National Park, Pachmarhi Wildlife Sanctuary and Bori Wildlife Sanctuary and up to two kilometers on other sides from the boundary of Core Critical Tiger Habitat of the Satpura Tiger Reserve, as the Satpura National Park, Pachmarhi Wildlife Sanctuary and Bori Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (herein after referred to as the Eco-sensitive Zone), details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundaries of Eco-sensitive Zone.- (1)The extent of Eco-sensitive Zone is up to an extent of 100 metre on the notified urban and 'Abadi' area side from the boundary of Core Critical Tiger Habitat of the Satpura Tiger Reserve, which includes Satpura National Park, Pachmarhi Wildlife Sanctuary and Bori Wildlife Sanctuary and up to two kilometers on other sides from the boundary of Core Critical Tiger Habitat of the Satpura Tiger Reserve**.**

(2) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 1051.70 square kilometres which includes 794.04 square kilometre buffer area of Satpura Tiger Reserve.

(3) The Eco-sensitive Zone includes 68 villages in three Districts viz. Hoshnagabad, Betul and Chindwara of Madhya Pradesh.

(3) The map of the Eco-sensitive Zone along with co-ordinates of prominent points is appended as **Annexure-I**

(3) The list of the villages falling within the Eco-sensitive Zone along with coordinates of permanent points is appended as **Annexure II.**

2. Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of final notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification.

(2) The said Plan shall be approved by the competent authority in the State Government.

(3) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(4) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with all concerned State Departments, namely:-

(i) Environment;

(ii) Forest;

(iii) Urban Development;

(iv) Tourism;

(v) Municipal;

(vi) Revenue;

(vii) Agriculture;

(viii) State Pollution Control Board;

(ix) Irrigation;

(x) Public Works Department,

for integrating environmental and ecological considerations into it.

(5) The Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and eco-friendly.

(6) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(7) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, village and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies.

(8) The Zonal Master Plan shall regulate development in Eco-sensitive Zone as to ensure eco-friendly development for livelihood security of local communities.

(9) As the buffer zone of the Tiger Reserve is part of the Eco-sensitive Zone, the Tiger Conservation plan relating to the buffer zone shall also be taken into consideration during preparation of the Zonal Master Plan.

3. **Measures to be taken by State Government.-**The State Governments shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

(1) **Land use.-** Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial related development activities:

Provided that the conversion of agricultural lands within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the State Government, to meet the residential needs of local residents, and for the activities listed against serial numbers 10, 16, 22, 30 and 32 in column (2) of the table in paragraph 4, namely:-

(i) Eco-friendly cottages for temporary occupation of tourists, such as tents, wooden houses, etc. for eco-friendly tourism activities;

(ii) widening and strengthening of existing roads;

(iii) small scale industries not causing pollution;

(iv) rainwater harvesting; and

(v) cottage industries including village industries, convenience stores and local amenities:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:

Provided also that the above correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

Provided also that there shall be no consequential reduction in green area, such as forest area and agricultural area and efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas.

(2) **Natural springs.-**The catchment areas of all natural springs shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan and the guidelines shall be drawn up by the State Government in such a manner as to prohibit development activities at or near these areas which are detrimental to such areas.

(3) **Tourism.-** (a) The activity relating to tourism within the Eco-sensitive Zone shall be as per Tourism Master Plan, which shall form part of the Zonal Master Plan.

(b) The Tourism Master Plan shall be prepared by Department of Tourism, Government of Madhya Pradesh in consultation with Department of Revenue and Forests, Government of Madhya Pradesh for the area of the Eco-sensitive Zone falling within the State of Madhya Pradesh and the Tourism master Plan for the area of Eco-sensitive Zone falling within the State of Chattisgarh shall be prepared by the Government of Chattisgarh.

(c) The activity of tourism shall be regulated as under, namely:-

(i) all new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by National Tiger Conservation Authority, (as amended from time to time)

with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and based on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;

(ii) new construction of hotels and resorts shall not be permitted within one kilometre from the boundary of the Tiger Reserve except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities:

Provided that extension of existing establishments may be allowed in accordance with the Zonal Master Plan:

Provided further that beyond one kilometer upto the extent of the Eco-sensitive Zone construction of hotels and resorts may be permitted as per Zonal Master Plan.

(iii) till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the Monitoring Committee.

(4) **Natural heritage.-** All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and preserved and plan shall be drawn up for their protection and conservation, within six months from the date of publication of this notification and such plan shall form part of the Zonal Master Plan.

(5) **Man-made heritage sites.-** Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and plans for their conservation shall be prepared within six months from the date of publication of this notification and incorporated in the Zonal Master Plan.

(6) **Noise pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(7) **Air pollution.-** The Environment Department of the State Government shall draw up guidelines and regulations for the control of air pollution in the Eco-sensitive Zone in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and the rules made thereunder.

(8) **Discharge of effluents.-** The discharge of treated effluent in Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 (6 of 1974) and the rules made thereunder.

(9) **Solid wastes. -** Disposal of solid wastes shall be as under:-

(i) the solid waste disposal in Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Municipal Solid Waste (Management and Handling) Rules, 2000 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 908 (E), dated the 25th September 2000 as amended from time to time;

(ii) the local authorities shall draw up plans for the segregation of solid wastes into biodegradable and non-biodegradable components;

(iii) the biodegradable material shall be recycled preferably through composting or vermiculture;

(iv) the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone and no burning or incineration of solid wastes shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) **Bio-medical waste.-** The bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Bio-Medical Waste (Management and Handling) Rules, 1998 published by the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests *vide* notification number S.O. 630(E), dated the 20th July, 1998 as amended from time to time.

(11) **Vehicular traffic**. - The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master Plan is prepared and approved by the competent authority in the State government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(12) **Industrial units.-** (a) No establishment of new wood based industries within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted except the existing wood based industries set up as per the law.

(b) No establishment of any new industry causing water, air, soil, noise pollution within the proposed Eco-sensitive Zone shall be permitted.

4. **List of activities prohibited or to be regulated within the Eco-sensitive Zone.-** All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made thereunder, and be regulated in the manner specified in the table below, namely:-

TABLE

S.No.	Activity	Remarks
(1)	(2)	(3)
Prohibited activities		
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New and existing mining (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for the domestic needs of *bona fide* local residents with reference to digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal use. (b) The mining operations shall strictly be in accordance with the interim order of the Hon'ble Supreme Court dated the 4th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.202 of 1995 and order of the Hon'ble Supreme Court dated the 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. Union of India in Writ Petition (Civil) No.435 of 2012.
2.	Setting up of saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
3.	Setting up of industries causing water or air or soil or noise pollution.	No new or expansion of polluting industries in the Eco-sensitive Zone shall be permitted.
4.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Establishment of new major hydroelectric projects and irrigation projects.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Use or production of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
7.	Discharge of untreated effluents and solid waste in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
8.	Undertaking activities related to tourism like over-flying the national park area by aircraft, hot-air balloons.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
9.	New wood based industry.	No establishment of new wood based industry shall be permitted within the limits of Eco-sensitive Zone: Provided the existing wood-based industry may continue as per law: Provided further that renewal of licenses of existing saw mills shall not be done on their expiry period.
Regulated activities		
10.	Establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometer of the boundary of the protected area except for accommodation for temporary occupation of tourists related to eco-friendly tourism activities. However, beyond one kilometer and upto the extent of the Eco-sensitive Zone all new tourism activities or expansions of existing activities would be in conformity with the Tourism Master Plan and National Tiger Conservation Authority guidelines.
11.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometer from the boundary of the protected area: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for residential use including the activities listed in sub-paragraph (1) of paragraph 3. (b) the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum with the prior permission from the competent

		authority as per applicable rules and regulations, if any; (c) Beyond one kilometer upto the extent of Eco-sensitive Zone construction for bona fide local needs shall be permitted and other commercial construction activities shall be regulated as per Zonal Master Plan; (d) No construction shall be allowed on hills with slopes more than 1 in 10 and upto 100 metre from the banks of any river and natural nallah. (e) construction activity in the Eco-sensitive Zone shall be as per Zonal Master Plan.
12.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the competent authority in the State Government; (b) the felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Act and the rules made thereunder. (c) in case of Reserve Forests and Protected Forests the Working Plan prescriptions shall be followed.
13.	Commercial water resources including ground water harvesting.	(a) The extraction of surface water and ground water shall be permitted only for *bona fide* agricultural use and domestic consumption of the occupier of the land; (b) extraction of surface water and ground water for industrial or commercial use including the amount that can be extracted, shall require prior written permission from the concerned regulatory authority; (c) no sale of surface water or ground water shall be permitted; (d) steps shall be taken to prevent contamination or pollution of water from any source including agriculture.
14.	Erection of electrical cables and telecommunication towers.	(ii) Promote underground cabling.
15.	Fencing of existing premises of hotels and lodges.	(i) Regulated under applicable laws. (ii) shall be done in a manner to allow free movement of wildlife. (iii) Existing fencing of establishments not compliant with the above condition shall be removed or modified to meet the requirement within six months from the date of final notification
16.	Widening and strengthening of existing roads.	Shall be done with proper Environment Impact Assessment and mitigation measures, as applicable.
17.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose, under applicable laws.
18.	Introduction of exotic species.	Regulated under applicable laws.
19.	Protection of hill slopes and river banks.	Regulated under applicable laws.
20.	Discharge of treated effluents in natural water bodies or land area.	Recycling of treated effluent shall be encouraged and for disposal of sludge or solid wastes, the existing regulations shall be followed.
21.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
22.	Small scale industries not causing pollution.	Non polluting, non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous goods from the Eco-sensitive Zone, and which do not cause any adverse impact on environment shall be permitted.
23.	Collection of Forest produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
24.	Air and vehicular pollution.	Regulated under applicable laws.
25.	Drastic change of agriculture systems.	Regulated under applicable laws.
26.	Trenching Ground.	No new trenching shall be established. However, existing trenching ground will be operated subject to the condition

		that no open burning will be allowed.
27.	Dairy activities and Cattle rearing.	Regulated as per applicable laws.
28.	Use of polythene bags.	Regulated as per applicable laws.
Permitted activity		
29.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities.	Permitted under applicable laws.
30.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
31.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
32.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
33.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
34.	Use of renewable energy sources.	Bio gas, solar light, etc., to be promoted.

5. Monitoring Committee.- The Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee, for effective monitoring of the area of the Eco-sensitive Zone falling within the State of Madhya Pradesh, which shall comprise of the following, namely:-

1.	Divisional Commissioner, Hoshangabad	Chairman;
2.	Divsional Commissioner, Jabalpur	Member;
3.	District Collector, Hoshangabad	Member;
4.	District Collector, Betul	Member;
5.	District Collector, Chinndwara	Member;
6.	Superintending Engineer Public Works Department, Shahdol	Member;
7.	Superintending Engineer Public Health Department, Hoshangabad	Member;
8.	Superintending Engineer Public Health Department, Betul	Member;
9.	Superintending Engineer Public Health Department, Chinndwara	Member;
10.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Hoshangabad	Member;
11.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Betul	Member;
12.	Chief Executive Officer of District Panchayat, Chinndwara	Member;
13.	Representative of the Town & Country Planning Department	Member;
14.	Representative of the Pollution Control Board	Member;
15.	One representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of one year in each case –	Member;
16.	One expert in the area of ecology and environment from a reputed institution of University in the State to be nominated by the Government of Madhya Pradesh for a term of one year in each case –	Member ;
17.	Field Director, Satpura Tiger Reserve,	Member-Secretary.

6. Terms of Reference.- (1) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(2) The activities that are covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column(3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(3) The activities that are not covered in the schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forest number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 but are falling in the Eco-sensitive Zone, except the prohibited activities as specified in column (3) of the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinized by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned regulatory authorities.

(4) The Member-Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector or the concerned Park in-charge shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(5) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from industry associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(6) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change as per proforma given in **Annexure III**.

(7) The Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/177/2015-ESZ-RE]

Dr. T. CHANDINI, Scientist 'G'

ANNEXURE-I

MAP OF ECO-SENSITIVE ZONE WITH LATITUDES AND LONGITUDES

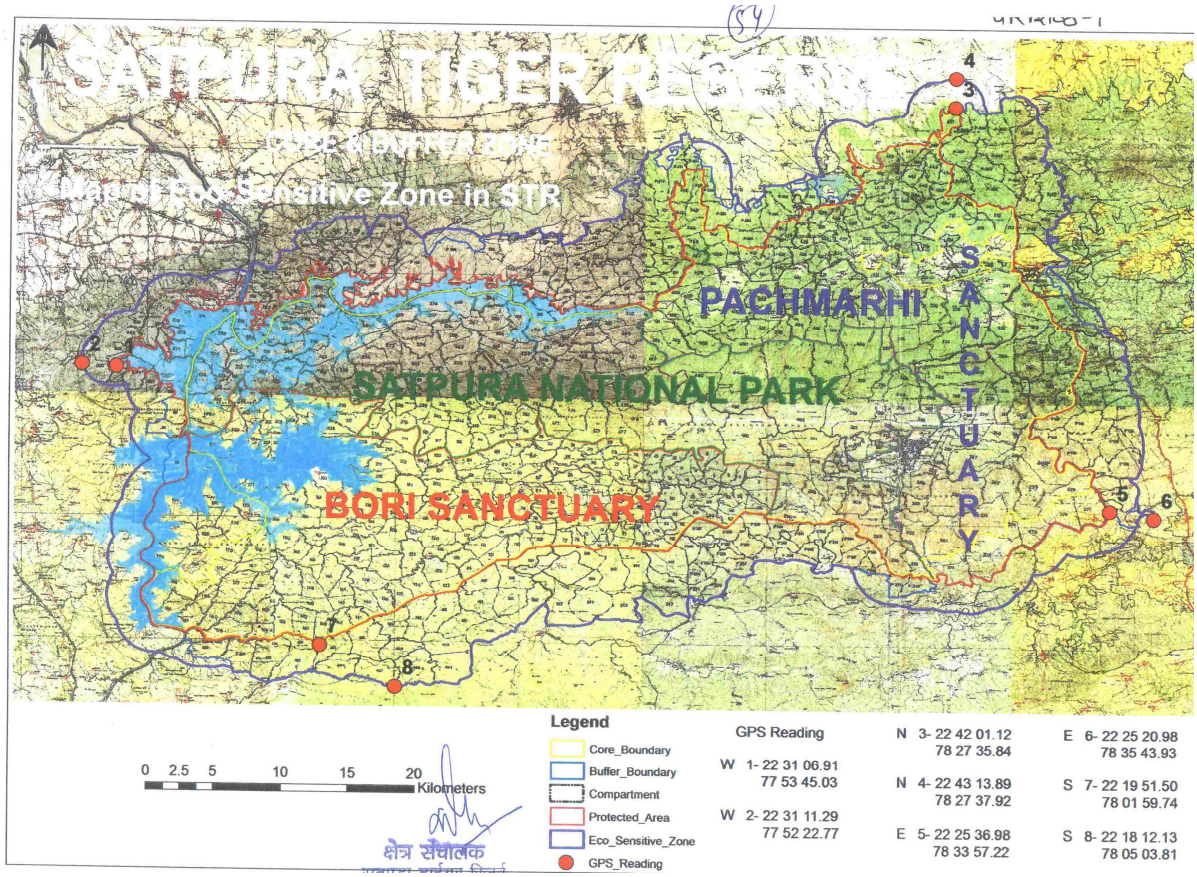

Annexure II

List of villages with Co-ordinates falling within the Eco-sensitive zone

Sl. No.	Name of Division	Name of Village	District	Longitude	Latitude
1	Buffer Zone	Jhiria	Hoshangabad	78 23'36.87" E	22 38'43.06" N
2	Buffer Zone	Devi	Hoshangabad	78 24'15.43" E	22 39'48.19" N
3	Buffer Zone	Amadeh	Hoshangabad	78 26'10.88" E	22 40'38.36" N
4	Buffer Zone	Ghogri	Hoshangabad	78 7'13.66" E	22 35'8.41" N
5	Buffer Zone	Sarangpur	Hoshangabad	78 8'43.99" E	22 34'39.91" N
6	Buffer Zone	Urdaon	Hoshangabad	78 5'46.46" E	22 34'46.40" N
7	Buffer Zone	Kharpawad	Hoshangabad	78 4'21.44" E	22 34'31.02" N
8	Buffer Zone	Chatua	Hoshangabad	77 54'21.35" E	22 28'09.74" N
9	Buffer Zone	Aanhoani	Hoshangabad	78 21'6.53" E	22 38'5.77" N
10	Buffer Zone	Choka	Hoshangabad	78 22'18.02" E	22 38'40.05" N
11	Buffer Zone	Madho	Hoshangabad	78 24'16.70" E	22 40'36.68" N
12	Buffer Zone	Raitwadi	Hoshangabad	78 25'18.74" E	22 40'55.95" N
13	Buffer Zone	Ghogri matha	Hoshangabad	78 26'32.99" E	22 42'15.31" N
14	Buffer Zone	Bargondi	Hoshangabad	78 27'59.87" E	22 39'56.94" N
15	Buffer Zone	Sehra	Hoshangabad	78 10'4.9" E	22 35'6.06" N
16	Buffer Zone	Tekapar	Hoshangabad	78 1'59.12" E	22 34'58.59" N
17	Buffer Zone	Pathi	Hoshangabad	78 1'15.12" E	22 36'10.25" N
18	Buffer Zone	Tawanagar	Hoshangabad	77 58'34.99" E	22 34'00.89" N
19	Buffer Zone	Ranipur	Hoshangabad	77 29'37.31" E	22 34'33.31" N
20	Buffer Zone	Maruapura	Hoshangabad	77 53'36.53" E	22 22'46.25" N
21	Buffer Zone	Chicha	Hoshangabad	77 54'50.28" E	22 32'40.41" N
22	Buffer Zone	Hathnikhapa	Hoshangabad	78 19'18.02" E	22 38'36.79" N
23	Buffer Zone	Muharikhurd	Hoshangabad	78 20'18.91" E	22 38'42.45" N
24	Buffer Zone	Muharikala	Hoshangabad	78 18'8.14" E	22 39'48.36" N
25	Buffer Zone	Sanghii	Hoshangabad	78 17'5.42" E	22 40'11.76" N
26	Buffer Zone	Bori	Hoshangabad	78 24'7.65" E	22 41'18.70" N
27	Buffer Zone	Dokrikheda	Hoshangabad	78 22'34.78" E	22 39'28.29" N
28	Buffer Zone	Kotmi	Hoshangabad	77 54'16.44" E	22 24'4.56" N
29	Buffer Zone	Ladema	Hoshangabad	77 53'39.13" E	22 22'14.64" N
30	Buffer Zone	Chichadhana	Hoshangabad	77 53'59.08" E	22 22'17.42" N
31	Buffer Zone	Jhunkar	Hoshangabad	77 54'24.20" E	22 25'46.51" N
32	Buffer Zone	Dodhi	Hoshangabad	77 53'28.44" E	22 31'19.24" N
33	Buffer Zone	Mangaria	Hoshangabad	78 6'10.05" E	22 35'40.34" N
34	Buffer Zone	Paraspani	Hoshangabad	78 18'41.46" E	22 35'40.35" N
35	Buffer Zone	Jamundonga	Hoshangabad	78 24'48.87" E	22 34'43.16" N
36	Buffer Zone	Bardha	Hoshangabad	78 54'53.41" E	22 20'7.92" N
37	Buffer Zone	Nayagaon	Hoshangabad	78 26'19.46" E	22 42'56.86" N
38	Buffer Zone	Nandia	Hoshangabad	78 26'35.60" E	22 23'26.88" N
39	Buffer Zone	Gurkheda	Hoshangabad	78 27'49.56" E	22 23'36.96" N
40	Buffer Zone	Supdongar	Hoshangabad	78 29'01.50" E	22 23'40.94" N
41	Buffer Zone	Sakri	Hoshangabad	78 30'04.45" E	22 40'22.71" N
42	Buffer Zone	Churni	Hoshangabad	78 32'32.46" E	22 25'27.01" N
43	Buffer Zone	Mallupura	Hoshangabad	77 56'04.94" E	22 25'29.32" N
44	Buffer Zone	Suplai	Hoshangabad	77 58'54.23" E	22 25'04.84" N
45	Buffer Zone	Khamda	Hoshangabad	77 55'58.56" E	22 24'30.49" N
46	Buffer Zone	Jhalai	Hoshangabad	77 56'54.36" E	22 23'26.61" N
47	Buffer Zone	Bandhan	Hoshangabad	77 33'27.97" E	22 26'37.49" N

48	Buffer Zone	Aaditoria	Hoshangabad	78 31’6.69” E	22 34’37.62” N
49	Buffer Zone	Kurrai	Hoshangabad	78 20’47.18” E	22 24’46.86” N
50	Buffer Zone	Bijori	Hoshangabad	78 26’54.96” E	22 22’25.03” N
51	Buffer Zone	Navatola	Hoshangabad	78 30’22.99” E	22 35’51.91” N
52	Buffer Zone	Khanchari	Hoshangabad	78 30’10.74” E	22 35’41.01” N
53	Buffer Zone	Karer	Hoshangabad	78 30’28.26” E	22 36’24.6” N
54	Buffer Zone	Baruth	Hoshangabad	78 17’25.64” E	22 24’12.47” N
55	Buffer Zone	Kursidhana	Hoshangabad	78 32’54.30” E	22 23’1.13” N
56	Buffer Zone	Sangakheda	Hoshangabad	78 27’26.40” E	22 21’50.14” N
57	Buffer Zone	Kundaidhana	Hoshangabad	78 28’24.17” E	22 21’43.14” N
58	Buffer Zone	Nishan	Hoshangabad	78 31’53.93” E	22 24’14.43” N
59	Buffer Zone	Balkhedi	Hoshangabad	78 33’44.75” E	22 24’40.64” N
60	Buffer Zone	Debudhana	Hoshangabad	78 39’24.17” E	22 26’06.73” N
61	Buffer Zone	Lukkhadhana	Hoshangabad	78 34’34.19” E	22 24’38.90” N
62	Buffer Zone	Anjandhana	Hoshangabad	78 34’40.12” E	22 25’19.80” N
63	Buffer Zone	Umardole	Hoshangabad	78 38’16.47” E	22 25’52.20” N
64	Buffer Zone	Dundalum	Hoshangabad	78 16’50.81” E	22 23’04.47” N
65	Buffer Zone	Dhasaii	Hoshangabad	77 56’53.89” E	22 19’30.08” N
66	Buffer Zone	Bhatodi	Hoshangabad	78 11’32.57” E	22 23’10.52” N
67	Buffer Zone	Kelipunji	Hoshangabad	77 59’36.03” E	22 18’25.80” N
68	Buffer Zone	Tetakheri	Hoshangabad	78 10’04.14” E	22 23’05.02” N

ANNEXURE-III

Performa of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: mention main noteworthy points. Attach minutes of the meeting as separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.

   [Details may be attached as Annexure]
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
6. Summary of cases scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment notification, 2006.

   [Details may be attached as separate Annexure]
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.